सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 02/17 **निर्णय दिनांक**

1. देवाराम पुत्र डूंगरराम जाति गुरड़ा निवासी भलूरी हाल चक 1 बीडीए तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत
दिनांक 08—08—2008

उपस्थितः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 08—08—2008 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से अपीलांट की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि कि वादगत् भूमि वाके चक 1 बीडीए के मुरब्बा नम्बर 152/14 के किला नम्बर 1 ता 4 में 4 बीघा अनकमाण्ड व

किला नम्बर 5 ता 25 में 21 बीघा कमाण्ड कुल 25 बीघा भूमि उदाराम पुत्र आसूराम नायक के नाम बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन हुई। जिसकी तमाम राशि खजानाज में जमा कराने पर सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने दिनांक 17–07–2009 को खातेदारी प्रदान की गई। उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त होने पर उदाराम ने उक्त भूमि किसनलाल पुत्र फकीरचन्द जाति जीनगर को विक्रय कर दी गई जिसका राजस्व रिकार्ड में इंतकाल संख्या 205 दिनांक 24–08–2009 को दर्ज किया गया। मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि चक 1 बीडीए तथा चक 1 आरएम के चक प्लान में रास्ता अंकित नहीं होने से नियमानुसार रास्ता दर्ज कर स्वीकृति हेतु तहसील कोलायत से श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन को प्रस्ताव भेजा गया। अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना उक्त रास्ता रिपोर्ट को स्वीकृत कर दिया गया जा कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

अदालत मातहत द्वारा रास्ता स्वीकृति से पूर्व रास्ता प्रस्ताव का कोई अवलोकन नहीं किया गया। चक 1 बीडीए के मुरब्बा नम्बर 152/6, 152/7 में आबादी स्वीकृत है तथा मुरब्बा नम्बर 152/8 में नर्सरी स्वीकृत है। नियमानुसार प्रत्येक दो मुरब्बों के बाद रास्ता स्वीकृत होता है। नियमानुसार मुरब्बा नम्बर 192/5 के किला नम्बर 21 में मुरब्बा नम्बर 172/61 के किला नम्बर 25, 24, 23, 21 से होता हुआ मुरब्बा नम्बर 172/53, 172/45, 172/37, 172/29, 172/21, 172/13, 172/5, 152/61, 152/53, 152/45, 152/37, 152/29 से 152/21, 152/13 से आबादी मुरब्बा नम्बर 152/6 में जाता है। हल्का पटवारी ने उपरोक्तानुसार रास्ता स्वीकृत नहीं कर मुरब्बा नम्बर 192/5 के किला नम्बर 21 से मुरब्बा नम्बर 172/61 के किला नम्बर 25, 24, 23, 21 से होता हुआ मुरब्बा नम्बर 172/53, 172/45, 172/37, 172/29, 172/21, 172/13, 172/5, 152/61, 152/53, 152/45, 152/37, 152/29, 152/21 तक तो सही रास्ता कायम कर दिया मगर मुरब्बा नम्बर 152/29 के बाद नियमों के विपरीत जाकर मुरब्बा नम्बर 152/22 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से अपीलांट के मुरब्बा नम्बर 152/14 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 में से आबादी मुरब्बा नम्बर 152/7 में रास्ता कायम करने के प्रस्ताव तैयार कर

अदालत मातहत श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत को भिजवा दिये गये तथा अदालत मातहत द्वारा भी बिना मूल काश्तकार को सुनवाई, सबूत का अवसर प्रदान किये बिना रास्ता स्वीकृत करने में नियमों का अवलोकन किये बगैर ही रास्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिये जो कानून व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य होने से अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा श्री गुरमुखराम पुत्र चम्पाराम ने चक 1 बीडीए में रास्ता स्वीकृत नहीं होने से उक्त चक में रास्ता स्वीकृति करने की प्रार्थना करने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर संबंधित पटवारी द्वारा चक 1 बीडीए व चक 1 आरएम में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर इन चकों में रास्ता स्वीकृत आदेश नजरी नक्शें के आधार पर पारित किया गया है। चूंकि जैर अपील आदेश सार्वजनिक हित के रास्ते से संबंधित है। जिसकी पालना राके जाने की कार्यवाही राज्य हित, जनहित व राज्य कल्याणकारी योजनाओं के विपरीत होने से अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है। वह मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा गुरमुखराम पुत्र चम्पाराम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने पर चक 1 बीडीए व चक 1 आरएम में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं होने की दशा में मुरब्बा नम्बर 192/5 के किला नम्बर 21 से मुरब्बा नम्बर 172/61 के किला नम्बर 25, 24, 23, 21 से होता हुआ मुरब्बा नम्बर 172/53, 172/45, 172/37, 172/29, 172/21, 172/13, 172/5, 152/61, 152/53, 152/45, 152/37, 152/29, 152/21 रास्ता स्वीकृत किया गया है।

(2) हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह अभिलिखित किया गया है कि चक 1 बीडीए के श्री गुरमुखराम पुत्र चम्पाराम ने चक बीडीए में से रास्ता स्वीकृत नहीं होने से उक्त चक में रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की है। **वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट के अनुसार पटवार मण्डल के चक 1 बीडीए व चक 1 आरएम में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं होने बाबत् प्रस्तुत**

करते हुए इन चकों में रास्ता स्वीकृत हेतु नजरी नक्शा मय अवाप्त होने वाले रकबें की सूची प्रस्तुत की गई तथा उक्त रिपोर्टानुसार रास्ता स्वीकृत करने का अनुमोदन हेतु श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत को प्रेषित की गई।

(3) सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 08–08–2008 को रास्ता स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में कभी अमल नहीं किया गया तथा मौके पर रास्ता उपलब्ध भी नहीं था। अदालत मातहत द्वारा मूल आवंटी को तहसील रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा दिनांक 17–07–2009 को खातेदारी प्रदान की गई है। खातेदारी के आधार पर मूल आवंटन उदाराम द्वारा वादगत् भूमि किसनलाल को विक्रय कर दी गई। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से व मौके पर कब्जा होने से अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उपरोक्त भूमि खरीद की है व तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का ना बतौर खातेदार दर्ज है। मौके पर अपीलांट की फसल दर्ज है तथा किला नम्बर 25 में उपरोक्त मुरब्बा नम्बर 152/14 के पानी का नक्का बना हुआ है तथा किला नम्बर 25 में ही अपीलांट की पानी की डिग्गी बनी हुई है। मौके पर किसी प्रकार का आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(4) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह तो अंकित कि है कि **पटवारी द्वारा प्रस्तुत जिसमें अवाप्त होने वाले रकबों की सूचि नाम सहित प्रस्तुत की,** परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी काश्तकार को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

(5) प्रकरण में पटवारी हल्का द्वार प्रस्तुत नजरी नक्शें का अवलोकन किया गया। नजरी नक्शें अनुसार अदालत मातहत द्वारा मुरब्बा नम्बर 192/5 के किला नम्बर 21 से मुरब्बा नम्बर 172/61 के किला नम्बर 25, 24, 23, 21 से होता हुआ मुरब्बा नम्बर 172/53, 172/45, 172/37, 172/29, 172/21, 172/13, 172/5, 152/61, 152/53, 152/45, 152/37, 152/29, 152/21 तक तो सही रास्ता कायम कर दिया मगर मुरब्बा नम्बर 152/29 के बाद नियमों के विपरीत जाकर मुरब्बा नम्बर 152/22 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से अपीलांट के मुरब्बा नम्बर 152/14 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 में से आबादी मुरब्बा नम्बर 152/7 में रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये है जबकि हमारे अभिमत में मौका नक्शें के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुरब्बा नम्बर 152/21 के किला नम्बर 21 से 25, मुरब्बा नम्बर 152/22 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 152/14 के किला नम्बर 21 से 25 के स्थान पर मुरब्बा

नम्बर 152/13 के किला नम्बर 21 से 25 में से रास्ता स्वीकृत किया जाता तो सर्वप्रथम तो रास्ता मुरब्बा नम्बर 152/22 से मुरब्बा नम्बर 152/13 तक सीधा रास्ता होता व संबंधित काश्तकारों की भूमि भी रास्तें में कम जाती।

(6) अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह तो अंकित कर दिया कि हल्का पटवारी द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया, परन्तु अदालत मातहत के निर्णय से यह तथ्या स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संबंधित **पीठासीन अधिकारी द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें के अवलोकन में कोई रूचि न दर्शाते हुए मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अदालत मातहत का उक्त कृत्य न्याय के प्रति उदासिनता व लापरवाही का द्योतक है।** अदालत मातहत द्वारा यदि तत्समय ही नजरी नक्शें का कानून के सिद्वान्तों के अनुसार अवलोकन किया जाता तो अपीलांट को इस न्यायालय में शरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश रास्ते के प्रावधानों के विपरीत होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 08–08–2008 में संशोधन करते हुए **मुरब्बा नम्बर 152/21 के किला नम्बर 21 ता 25, मुरब्बा नम्बर 152/22 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 152/14 के किला नम्बर 21 ता 25 के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 152/21 के किला नम्बर 21 ता 25 से सीधा मुरब्बा नम्बर 152/13 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत** करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार रिकार्ड में अंकन किया जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर